राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 472/2023

बजरंग लाल गुर्जर (कर्मचारी आई.डी.– आरजेएसएम199532001785)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023

आदेश की दिनांक : 14.02.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने अपने स्थानांतरण आदेश दिनांक 12.01.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.उ.मा.वि. गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, से रा.उ.प्रा.वि. चक बिलोली, सवाई माधोपुर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व में अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.उ.मा.वि. गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से रा.उ.मा.वि. चरि का हार जिला करौली में किया गया था। उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.08.2022 को अपीलार्थी ने पूर्व में इस अधिकरण में अपील संख्या 3796/2022 के जरिये चुनौती दी थी, जिसके द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.08.2022 की क्रियान्विति अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में स्थगित रखी गई। अपीलार्थी ने अपने पूर्व के स्थान रा.उ.मा.वि. गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर में पुनः कार्यग्रहण कर लिया था। इसके बाद भी वर्तमान स्थानांतरण आदेश में अपीलार्थी को स्थानांतरणाधीन दर्शाया गया है, जो गलत है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी का पूर्व में स्थानांतरण किया गया था। स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.08.2022 के द्वारा किया गया, जिसके संबंध में अपील संख्या 3796/2022 में इस अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें उक्त स्थानांतरण आदेश को स्थगित किया था। साथ ही उक्त आदेश में प्रत्यर्थी विभाग को नये सिरे से नियमानुसार जिले में स्थानांतरण करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। वर्तमान स्थानांतरण जिले में ही

किया गया है। स्थानांतरण आदेश में स्थानांतरणाधीन दिखाया जाना गलत नहीं है, न ही नियम के विरूद्ध है।

4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर 2018 से कार्यरत है एवं वर्तमान स्थान पर समुचित समय तक अपीलार्थी को पदस्थापित रखे जाने के पश्चात् उसका स्थानांतरण किया गया है। वर्तमान स्थानांतरण में कोई दुर्भावना प्रकट नहीं होती है।

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर व उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)